भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5462

25 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

एफसीआई और राज्य अभिकरणों की भंडारण क्षमता

5462. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य अभिकरणों के पास उपलब्ध खाद्यान्न भंडारण क्षमता सीमित है;

(ख) यदि हां, तो कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान खरीदे गए और भंडारित किए गए खाद्यान्न की कुल मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान भंडारण में क्षतिग्रस्त या बर्बाद हुए खाद्यान्न की कुल मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा देश में आधुनिक भंडारण अवसंरचना का विस्तार करने तथा खाद्यान्न के पारगमन और भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): सरकार, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से भंडारण की कमी का निरंतर आकलन करती है और भंडारण क्षमता की निगरानी करती है। भंडारण की कमी के आकलन के आधार पर, भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं। एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्य रूप से चावल और गेहूं की खरीद, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रचालनों पर निर्भर करती है।

एफसीआई आवश्यकतानुसार मौजूदा क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुए केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों/निजी एजेंसियों से भंडारण क्षमता किराए पर लेता है। इसके अलावा, एफसीआई निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से अपनी भंडारण क्षमता का संवर्धन करता है:

i. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
ii. निजी भांडागारण योजना (पीडब्ल्यूएस)
iii. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के अंतर्गत गोदामों का सृजन
iv. केंद्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगम/राज्य एजेंसियों से गोदामों को किराए पर लेना

...2/-

v. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) "भंडारण एवं गोदाम

vi. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलोज का निर्माण

दिनांक 01.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास देशभर में उपलब्ध कुल कवर्ड भंडारण क्षमता 852.59 लाख टन है। राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-क** में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, सीडब्ल्यूसी के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 163.87 लाख टन है। राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-ख** में संलग्न है।

(ग): धान, गेहूं और मोटे अनाज के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा केंद्रीय पूल के लिए की गई खरीद का विवरण क्रमशः **अनुबंध-ग**, **अनुबंध-घ** और **अनुबंध-ङ** में संलग्न है।

(घ): एफसीआई,सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण हेतु लंबी अवधि के लिए बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण और प्रबंधन करता है। यह देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बफर और रणनीतिक रिजर्व भी बनाए रखता है। खाद्यान्न की क्षति नगण्य मात्रा में दर्ज की गई है, जिसका प्रमुख कारण चक्रवात, बाढ़ एवं अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएँ हैं।

पिछले तीन वर्षों के लिए क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-च** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान हुई क्षति के लिए जिम्मेदार कारकों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष 2023-24 से 2025-26 (दिनांक 01.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में जारी न करने योग्य खाद्यान्न के संचयन के कारकों को दर्शाने वाला विवरण।

आंकड़े टन में

वर्ष	2023-24	2024-25	2025-26 (दिनांक 01.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार)
प्राकृतिक आपदाएँ			
वर्षा	0	0	1
बाढ़	10170	7720	2083
चक्रवात	23	2	0
क. कुल	10193	7722	2084
प्रचालनात्मक			
गुणवत्ता संबंधी शिकायतें	53	19	70
पारगमन क्षतिग्रस्त	15	20	44
अन्य	88	97	39
ख. कुल	155	136	153
सकल योग (क+ख)	**10348**	**7858**	**2237**

स्मार्ट भांडागार सभी डिपो में वास्तविक समय की दृश्यता, समय पर हस्तक्षेप, डेटा-संचालित निर्णय लेने और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करता है, जो सुरक्षित, संरक्षित और कुशल खाद्यान्न भंडारण और वितरण सुनिश्चित करने में योगदान देता है।

डिपो दर्पण पोर्टल:-

डिपो दर्पण पोर्टल, पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न भंडारण डिपो की निगरानी, पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इस विभाग द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

यह पोर्टल एक समग्र स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग करता है, जो डिपो का आकलन दो व्यापक श्रेणियों: अवसंरचना और प्रचालनात्मक मापदंड के आधार पर करता है। स्कोर के आधार पर, प्रत्येक डिपो को स्टार रेटिंग दी जाती है, जिससे डिपो के प्रदर्शन का त्वरित आकलन संभव हो पाता है। डेटा का प्रमाणीकरण प्रक्रिया में ही समाहित किया गया है, जिसके अंतर्गत पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा 100% सत्यापन तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु कुछ यादृच्छिक तृतीय-पक्ष लेखा-परीक्षण किए जाते हैं।

"अन्न चक्र" पीडीएस आपूर्ति शृंखला अनुकूलन उपकरण:-

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए अन्न चक्र उपकरण का कार्यान्वयन किया है। यह उपकरण पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, दक्षता बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और कुल लागत घटाने के साथ-साथ 81 करोड़ जरूरतमंद नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक हैं तथा परिवहन लागत में प्रतिवर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए की कमी का आकलन किया गया है। राज्य-विशिष्ट एल्गोरिद्म का उपयोग करते हुए, यह प्रणाली भांडागारों के स्थान, भंडारण क्षमता एवं सड़क से दूरी के आधार पर मार्ग-निर्धारण का अनुकूलन करती है, जिससे परिवहन दूरी में 15 से 50 प्रतिशत तक की कमी प्राप्त हुई है।

"अन्न चक्र" अंतर-राज्यीय मार्ग अनुकूलन टूल:-

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा मुख्यतः रेल मार्ग से किए जाने वाले अंतर-राज्यीय खाद्यान्न संचलन कार्यों को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए अंतरराज्यीय संचलन अनुकूलन का कार्य किया गया है। इन संचलन कार्यों की योजना उपभोक्ता राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ खरीदार या अधिशेष क्षेत्रों में भंडारण स्थान का प्रबंधन करने के लिए बनाई गई है। इन कार्यों की दैनिक योजना और क्रियान्वयन एफसीआई द्वारा इस उद्देश्य के लिए विकसित उपकरण का उपयोग करके किया जाता है।

...5/-

आधुनिक साइलोज का निर्माण:-

इसके अतिरिक्त,भंडारण सुविधाओं को उन्नत और आधुनिक बनाने के लिए, भारत सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत देशभर में खाद्यान्नों के थोक भंडारण हेतु स्टील साइलो के निर्माण को अनुमोदित किया है। तदनुसार, दिनांक 31.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 57 स्थानों पर 32.25 लाख टन क्षमता वाले साइलोज का निर्माण किया गया हैं।

थोक प्रबंधन सहित स्टील साइलो भंडारण, खाद्यान्न के थोक भंडारण की एक अत्यधिक स्वचालित एवं आधुनिक पद्धति है। इसमें खाद्यान्न को नियंत्रित वातावरण में थोक रूप में संग्रहित किया जाता है। साइलो में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मशीनीकृत प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह खाद्यान्न के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करता है और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। पारंपरिक भांडागारों में बोरियों में रखे खाद्यान्न की तुलना में, साइलो में खाद्यान्न का भंडारण और थोक में परिवहन करने पर चोरी, हेराफेरी और परिवहन के कारण होने वाले नुकसान नगण्य होंगे।

सरकार द्वारा भंडारण हानि और पारगमन हानि को कम करने के लिए उठाए गए कदम **अनुबंध-छ** में संलग्न है।

(अनुबंध-क)

लोकसभा में दिनांक 25.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5462 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 01.02.2026 तक की स्थिति के अनुसार एफसीआई और राज्य सरकार की एजेंसियों के पास केंद्रीय पूल भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एफसीआई के पास कुल भंडारण क्षमता (स्वामित्व/किराए पर ली गई) (कवर्ड और कैप)						कुल (स्वामित्व + किराए पर लिया गया)	खाद्यान्नों के भंडारण के लिए (एसडब्ल्यूसी सहित) राज्य एजेंसियों के पास कुल भंडारण क्षमता (एफसीआई को दी गई क्षमताओं को छोड़कर)			कुल योग		
			कवर्ड		सीएपी		कुल		कवर्ड एवं सीएपी	राज्य एजेंसियां			कवर्ड	सीएपी	कवर्ड एवं सीएपी
			स्वामित्व	किराए की	स्वामित्व	किराए की	कवर्ड	सीएपी		कवर्ड	सीएपी	कुल			
पूर्वी	1	बिहार	3.45	10.41	0.00	0.00	13.86	0.00	**13.86**	10.13	0.00	10.13	23.99	0.00	**23.99**
	2	झारखंड	1.08	3.47	0.00	0.00	4.56	0.00	**4.56**	2.25	0	2.25	6.81	0.00	**6.81**
	3	ओड़िशा	3.65	3.13	0.00	0.00	6.78	0.00	**6.78**	5.44	0	5.44	12.22	0.00	**12.22**
	4	पश्चिम बंगाल	9.53	1.47	0.00	0.00	11.00	0.00	**11.00**	10.06	0	10.06	21.07	0.00	**21.07**
	5	सिक्किम	0.11	0.01	0.00	0.00	0.11	0.00	**0.11**	0.13	0	0.13	0.24	0.00	**0.24**
कुल पूर्वी क्षेत्र			**17.82**	**18.49**	**0.00**	**0.00**	**36.31**	**0.00**	**36.31**	**28.01**	**0.00**	**28.01**	**64.32**	**0.00**	**64.32**
पूर्वोत्तर	6	असम	3.82	1.57	0.00	0.00	5.39	0.00	**5.39**	0.00	0	0.00	5.39	0.00	**5.39**
	7	अरुणाचल प्रदेश	0.41	0.04	0.00	0.00	0.45	0.00	**0.45**	0.00	0	0.00	0.45	0.00	**0.45**
	8	मेघालय	0.20	0.25	0.00	0.00	0.44	0.00	**0.44**	0.00	0	0.00	0.44	0.00	**0.44**
	9	मिजोरम	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	**0.32**	0.41	0	0.41	0.73	0.00	**0.73**
	10	त्रिपुरा	0.44	0.19	0.00	0.00	0.62	0.00	**0.62**	0.64	0	0.64	1.27	0.00	**1.27**
	11	मणिपुर	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	**0.65**	0.00	0	0.00	0.65	0.00	**0.65**
	12	नागालैंड	0.42	0.16	0.00	0.00	0.57	0.00	**0.57**	0.08	0	0.08	0.65	0.00	**0.65**
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र			**6.25**	**2.19**	**0.00**	**0.00**	**8.44**	**0.00**	**8.44**	**1.13**	**0.00**	**1.13**	**9.57**	**0.00**	**9.57**
उत्तर	13	दिल्ली	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	**3.28**	0.00	0	0.00	3.28	0.00	**3.28**
	14	हरियाणा	8.75	52.66	2.88	0.00	61.41	2.88	**64.29**	46.70	18.69	65.39	108.11	21.57	**129.68**
	15	हिमाचल प्रदेश	0.27	0.74	0.00	0.00	1.01	0.00	**1.01**	0.00	0	0.00	1.01	0.00	**1.01**
	16	जम्मू और कश्मीर	0.95	1.70	0.00	0.00	2.65	0.00	**2.65**	0.00	0	0.00	2.65	0.00	**2.65**
	17	लद्दाख	0.25	0.13	0.00	0.00	0.38	0.00	**0.38**	0.00	0	0.00	0.38	0.00	**0.38**
	18	पंजाब	27.19	122.10	3.31	5.76	149.29	9.07	**158.36**	27.07	62.01	89.08	176.36	71.08	**247.44**
	19	चंडीगढ़	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	**0.09**	0.00	0	0.00	0.09	0.00	**0.09**
	20	राजस्थान	8.42	12.02	0.60	0.00	20.44	0.60	**21.04**	0.00	0	0.00	20.44	0.60	**21.04**
	21	उत्तर प्रदेश	15.48	40.06	0.00	0.00	55.54	0.00	**55.54**	0.00	0	0.00	55.54	0.00	**55.54**
	22	उत्तराखंड	0.83	1.19	0.00	0.00	2.03	0.00	**2.03**	1.88	0	1.88	3.91	0.00	**3.91**
कुल उत्तरी क्षेत्र			**65.41**	**230.70**	**6.79**	**5.76**	**296.11**	**12.55**	**308.66**	**75.65**	**80.70**	**156.35**	**371.76**	**93.25**	**465.01**
दक्षिण	23	आंध्र प्रदेश	8.64	7.72	0.00	0.00	16.36	0.00	**16.36**	11.46	0	11.46	27.82	0.00	**27.82**
	24	अंडमान निकोबार	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	**0.07**	0.16	0	0.16	0.23	0.00	**0.23**
	25	तेलंगाना	6.68	16.32	0.00	0.00	23.00	0.00	**23.00**	7.10	0	7.10	30.10	0.00	**30.10**
	26	केरल	5.88	0.13	0.00	0.00	6.01	0.00	**6.01**	1.84	0	1.84	7.85	0.00	**7.85**
	27	कर्नाटक	4.61	5.76	0.00	0.00	10.37	0.00	**10.37**	30.93	0	30.93	41.30	0.00	**41.30**
	28	लक्षद्वीप	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	**0.03**	0.00	0	0.00	0.03	0.00	**0.03**
	29	तमिलनाडु	6.46	6.40	0.00	0.00	12.86	0.00	**12.86**	17.66	0	17.66	30.52	0.00	**30.52**
	30	पुडुचेरी	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	**0.51**	0.00	0	0.00	0.51	0.00	**0.51**
कुल दक्षिण क्षेत्र			**32.87**	**36.34**	**0.00**	**0.00**	**69.21**	**0.00**	**69.21**	**69.15**	**0.00**	**69.15**	**138.36**	**0.00**	**138.36**
पश्चिम	31	गुजरात	4.93	4.56	0.00	0.00	9.48	0.00	**9.48**	0.58	0	0.58	10.06	0.00	**10.06**
	32	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	33	महाराष्ट्र	9.23	9.76	0.00	0.00	18.99	0.00	**18.99**	6.98	0	6.98	25.97	0.00	**25.97**
	34	गोवा	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	**0.19**	0.00	0	0.00	0.19	0.00	**0.19**
	35	मध्य प्रदेश	4.18	6.61	0.00	0.00	10.79	0.00	**10.79**	189.16	0.00	189.16	199.95	0.00	**199.95**
	36	छत्तीसगढ	6.32	14.83	0.00	0.00	21.15	0.00	**21.15**	11.26	0	11.26	32.41	0.00	**32.41**
कुल पश्चिम क्षेत्र			**24.84**	**35.75**	**0.00**	**0.00**	**60.59**	**0.00**	**60.59**	**207.98**	**0.00**	**207.98**	**268.57**	**0.00**	**268.57**
कुल योग			**147.20**	**323.47**	**6.79**	**5.76**	**470.67**	**12.55**	**483.22**	**381.92**	**80.70**	**462.62**	**852.59**	**93.25**	**945.84**

(अनुबंध-ख)

लोकसभा में दिनांक 25.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5462 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय भंडारण निगम की फरवरी-26 माह के लिए राज्यवार कुल क्षमता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षमता (टन में)
1	अंडमान और निकोबार	6450
2	आंध्र प्रदेश	962394
3	अरुणाचल प्रदेश	2088
4	असम	129975
5	बिहार	287315
6	छत्तीसगढ	329131
7	दिल्ली	167910
8	गोवा	33909
9	गुजरात	2623004
10	हरियाणा	553071
11	हिमाचल प्रदेश	12292
12	इंफाल	1751
13	झारखंड	89218
14	कर्नाटक	858318
15	केरल	224637
16	लद्दाख	8352
17	मध्य प्रदेश	855244
18	महाराष्ट्र	1596060
19	नागालैंड	16313
20	ओडिशा	574722
21	पुडुचेरी	7386
22	पंजाब	878432
23	राजस्थान	1163946
24	तमिलनाडु	892559
25	तेलंगाना	1769409
26	त्रिपुरा	37538
27	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	12613
28	उत्तर प्रदेश	1646754
29	उत्तराखंड	95698
30	पश्चिम बंगाल	550894
सकल योग		**16387382**

अनुबंध-ग

लोकसभा में दिनांक 25.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5462 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय पूल के लिए धान की खरीद

आंकड़े लाख टन में

राज्य	केएमएस 2022-23	केएमएस 2023-24	केएमएस 2024-25	केएमएस 2025-26*
आंध्र प्रदेश	41.12	30.43	38.22	40.86
तेलंगाना	131.86	95.32	100.44	53.67
असम	5.98	3.94	8.50	2.39
बिहार	42.05	30.80	39.22	33.09
चंडीगढ़	0.19	0.25	0.26	0.19
छत्तीसगढ़	87.53	114.24	116.42	108.95
गुजरात	1.77	0.85	0.35	0.67
हरियाणा	59.36	58.94	53.99	53.68
हिमाचल प्रदेश	0.14	0.23	0.37	0.21
झारखंड	1.72	0.74	2.06	0.48
जम्मू एवं कश्मीर	0.34	0.24	0.33	0.50
कर्नाटक	0.21	0.00	0.01	0.06
केरल	7.31	5.59	5.81	1.51
मध्य प्रदेश	46.30	42.16	43.42	51.75
महाराष्ट्र	18.48	11.64	15.93	9.56
ओडिशा	79.16	70.89	85.55	70.09
पंजाब	182.10	185.28	173.33	156.50
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	-
एनईएफ (त्रिपुरा)	0.45	0.32	0.36	0.16
तमिलनाडु	33.84	34.96	47.98	23.53
उत्तर प्रदेश	65.50	53.80	57.71	62.31
उत्तराखंड	8.96	7.30	6.73	7.50
पश्चिम बंगाल	32.08	24.69	29.28	23.98
पुदुचेरी	0.001	0.002	0.002	-
कुल	**846.45**	**772.61**	**826.27**	**701.64**

*केएमएस 2025-26 प्रक्रियाधीन है। आंकड़े दिनांक 16.03.2026 तक के हैं।

नोट- केएमएस 2022-23 (रबी) के लिए तेलंगाना सरकार ने 38 लाख टन धान की नीलामी की, जिसे डीएफपीडी ने दिनांक 29.04.2024 के पत्र के माध्यम से अनुमोदित किया था।

अनुबंध- घ

लोकसभा में दिनांक 25.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5462 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कैंद्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद

आंकड़े लाख टन में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरएमएस 2022-23	आरएमएस 2023-24	आरएमएस 2024-25	आरएमएस 2025-26
1	पंजाब	96.45	121.12	124.57	119.19
2	हरियाणा	41.86	63.17	71.50	71.43
3	उत्तर प्रदेश	3.36	2.20	9.31	10.27
4	मध्य प्रदेश	46.04	70.97	48.39	77.74
5	बिहार	0.03	0.01	0.10	0.18
6	राजस्थान	0.10	4.38	12.05	21.37
7	उत्तराखंड	0.02	0.00	0.02	0.005
8	चंडीगढ़	0.03	0.09	0.08	0.09
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.04
11	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
12	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.03	0.03	0.03
13	जम्मु और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
संपूर्ण भारत		**187.92**	**261.97**	**266.05**	**300.35**

अनुबंध-ङ

लोकसभा में दिनांक 25.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5462 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध
मोटे अनाज की खरीद दर्शाने वाला विवरण

आंकड़े 16.03.2026 तक

आंकड़े टन में

केएमएस	वस्तु	आंध्र प्रदेश	गुजरात	हरियाणा	कर्नाटक	मध्य प्रदेश.	महाराष्ट्र	उत्तराखंड	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	ओड़िशा	कुल
2022-23	ज्वार(खरीफ)	0	0	0	76897	258	1378			0	0	78533
	ज्वार(रबी)	3621	685	0	0	0	2358			0	0	6664
	बाजरा (खरीफ)	0	766	81147	0	0	10			43437	0	125360
	बाजरा (रबी)		56645									56645
	मक्का (खरीफ)	0	0	0	0	0	48			0	0	48
	मक्का (रबी)	0	197	0	0	0	12877			0	0	13074
	रागी	4	0	0	454404	0	636	1186	515	0	0	456745
	कुल	3625	58293	81147	531301	258	17307	1186	515	43437	0	737069
2023-24	ज्वार(खरीफ)	24466		0	85402		462			13340	0	123670
	ज्वार(रबी)	4903	2946	0	105019		86625			0	0	199493
	बाजरा (खरीफ)		33359	231334						355039	0	619732
	बाजरा (रबी)		76726									76726
	मक्का (खरीफ)			0			25			4451	0	4476
	मक्का (रबी)			0			56			0	0	56
	रागी	376	1	0	226576		189	1889	1889	0.7	0	230921
	कुल	29745	113032	231334	416997	0	87357	1889	1889	372830.7	0	1255074
2024-25	ज्वार(खरीफ)		27	0	115352	908	937			46,942	0	164166
	ज्वार(रबी)	35402	5300	0	78676		131312			0	0	250690
	बाजरा (खरीफ)		3818	156000		0				101311	0	261129
	बाजरा (रबी)		82223									82223
	मक्का (खरीफ)			0			1			0	0	1
	मक्का (रबी)		118	0			51			19312	0	19481
	रागी (खरीफ)	205	5	0	346079		233	3139	4051	0	0	353712
	रागी	902										902
	कुल	35607	91491	156000	540107	908	132534	3139	4051	167565	0	1132304
2025-26*	ज्वार(खरीफ)					379	4778			43,562		48719
	ज्वार(रबी)											0
	बाजरा (खरीफ)		14472	233						213973		228678
	बाजरा (रबी)											0
	मक्का (खरीफ)		564				64138			13209		77911
	मक्का (रबी)											0
	रागी (खरीफ)		13		173165		439	5386	2783			181786
	रागी											0
	कुल	0	15049	233	173165	379	69355	5386	2783	270744	0	537094

*केएमएस 2025-26 प्रक्रियाधीन है।

अनुबंध-च

लोकसभा में दिनांक 25.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5462 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक (दिनांक 01.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में संचयित जारी न करने योग्य (क्षतिग्रस्त) खाद्यान्न का स्टॉक।

(आंकड़े टन में)

क्र. सं.	**क्षेत्र**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (01.03.2026 की स्थिति के अनुसार)**
1.	बिहार	0	0.56	0
2.	झारखंड	24	0	40
3.	ओडिशा	9	0.02	0
4.	पश्चिम बंगाल	0	0.14	9
5.	असम	0	0	0
6.	एनईएफ	0	0	0
7.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
8.	नागालैंड	0	0	0
9.	मणिपुर	0	0	0.58
10.	दिल्ली	0	3	1.7248
11.	हरियाणा	2511	0	0
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0.006
13.	जम्मू व कश्मीर	0	0.09	0.82
14.	पंजाब	7746	91	36
15.	राजस्थान	6	1	2089
16.	उत्तर प्रदेश	2	2254	21
17.	उत्तराखंड	0	0	0
18.	आंध्र प्रदेश	0	2	0
19.	तेलंगाना	2	485	0
20.	कर्नाटक	0	0	0
21.	तमिलनाडु	7	3001	0
22.	गुजरात	23	13	0.84
23.	महाराष्ट्र	18	1986	35
	संपूर्ण देश	**10348**	**7838**	**2235**

अनुबंध-छ

लोकसभा में दिनांक 25.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5462 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भंडारण हानि को कम करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:-

गोदामों की सुरक्षा के लिए भौतिक उपाय किए जा रहे हैं, जैसे चारदीवारी पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना, गोदामों में रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना और शेडों को ठीक से बंद करना ।

- बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए स्वामित्व वाले डिपो में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
- स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई के डिपों पर एफसीआई, होमगार्ड और अन्य बाहरी एजेंसियों के सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है।
- खाद्यान्न स्टॉक को कीटों/संक्रमणों से मुक्त रखने के लिए, अर्थात जैविक कारकों से होने वाली हानि को न्यूनतम करने के लिए, समय-समय पर उनका रोगनिरोधी और उपचारात्मक निदान किया जाता है।
- किसी अंचल और क्षेत्र में सबसे अधिक भंडारण हानि वाले डिपो का अनिवार्य निरीक्षण क्रमशः कार्यकारी निदेशक (अंचल)/महाप्रबंधक (क्षेत्रीय) द्वारा किया जाता है।
- आईसीएआर मानकों के अनुरूप जहाँ भी असामान्य/अनुचित नुकसान को रिपोर्ट किया जाता है, वहाँ उचित जाँच के बाद दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।
- मुख्यालय स्तर पर मासिक निष्पादन समीक्षा बैठकों (एमपीआर) में भंडारण हानि की स्थिति की समीक्षा की जाती है।

पारगमन हानियों को कम करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं: -

- 1 जनवरी, 2023 से खाद्यान्नों के लदान के समय वैगनों पर उच्च सुरक्षा केबल सील का कार्यान्वयन, ताकि रास्ते में चोरी से बचा जा सके। इसके परिणामस्वरूप पारगमन हानि के मामलों में 0.50% से अधिक की भारी कमी आई, जो 997 (2021-22 के दौरान) से घटकर 55 (2025-26 के दौरान 26 फरवरी तक) रह गया।
- बिखरे हुए अनाज को उठाने के लिए रेलवे वैगनों के फर्श पर पॉलीथीन शीट बिछाना।
- लोडिंग/अनलोडिंग कार्य के समय स्वतंत्र माल प्रमाणन दस्ते (आईसीसीएस) की तैनाती की जा रही है।

- ज़िम्मेदारी निर्धारित करने के लिए उच्च पारगमन हानि वाले मामलों का संयुक्त सत्यापन। संयुक्त सत्यापन के लिए कुल पारगमन हानि की निचली सीमा 1% से घटाकर 0.75% और तत्पश्चात दिनांक 1.10.2022 से 0.50% कर दी गई है।
- रेलहेड पर उपार्जित तैयार बैगों का हिसाब रखा जा रहा है।
- अधिक हानि प्रदर्शित करने वाले क्रॉनिक रेलहेड्स को चिह्नित कर लिया गया तथा इन रेलहेड्स पर लोडिंग/अनलोडिंग की निगरानी क्षेत्रीय/अंचल कार्यालय स्तर से की जा रही है।
- मुख्यालय/अंचल/क्षेत्र/ज़िला स्तरों पर नियमित अंतराल पर उच्च पारगमन हानियों की जाँच।
- जहाँ भी असामान्य/अनुचित पारगमन हानि की सूचना मिलती है, वहाँ दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है।
- मुख्यालय स्तर पर मासिक निष्पादन समीक्षा बैठक में पारगमन हानियों की समीक्षा की जाती है।
